

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10052022-235681
SG-DL-E-10052022-235681असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]	दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 59
No. 271]	DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944	[N. C. T. D. No. 59

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मई, 2022

फा.सं. 8/2/2015/भूमि एवं भवन/भूमि अधि0/923.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740 (ई) एवं दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस0ओ0 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली जल बोर्ड के उद्देश्य के लिए दिल्ली में यमुना विहार अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र बहेत क्षेत्र, जोन-III में गोकलपुर निर्वाचन क्षेत्र के भाग की कॉलोणियों में 250 मी0 व्यास से 710 मी0 व्यास की आंतरिक सीवर लाइन उपलब्ध कराने, बिछाने तथा जोड़ने हेतु लिफ्ट स्टेशन निर्माण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य हेतु गोकलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मंडोली गांव के राजस्व संपदा में मिलन गार्डन तथा सबोली गांव के राजस्व संपदा में सबोली गड्ढा पर भूमि अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखते हैं। ये लिफ्ट

स्टेशन उपचार के संबंध में यमुना विहार अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र पर आगे की ओर प्रवाहित सिवरेज को आंतरिक सीवर प्रणाली में पम्पआउट करने की लिए आवश्यक है, जो यमुना नदी में सीधे गिरने वाले सिवरेज को नियंत्रित करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजस्व गांव मंडोली के खसरा नं० 11/2 पर 18.90 वर्ग मीटर तथा राजस्व गांव सबोली के खसरा नं० 101 पर 19.95 वर्ग मीटर भूमि को अधिकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीइएआर) को 911 दिनांक 09/05/2022 की अधिसूचना सं०फा० 8/2/2015/भूमि एवं भवन/भूमि अधि०/के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आकलन करने के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आकलन के मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन-सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर तथा जिला कलेक्टर (शाहदरा), दिल्ली में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना-पत्र एवं जन-सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अशोक कुमार यादव, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th May, 2022

F. No. 8/2/2015/L&B/LA/923.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs's Notification No. S.O.2740 (E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, intends to acquire land for Delhi Jal Board at Milan Garden in the revenue estate of village Mandoli and Saboli Gaddha in revenue estate of village Saboli in Gokalpur Assembly Constituency for public purpose for construction of lift station for providing, laying and jointing 250mm diameter to 710 mm diameter internal sewer line in colonies of constituencies: part of Gokalpurin Zone -III, Yamuna Vihar waste water treatment plant catchment area in Delhi. These lift stations are required to pump out the sewerage into internal sewer system for onward discharging at Yamuna Vihar waste water treatment plant regarding treatment which would control the direct outfall of sewerage into river Yamuna. The land to be acquired for this purpose is 18.90 Sq. meter of Khasra no. 11/2 of revenue village Mandoli and 19.95 Sq. meter of Khasra No. 101 min of revenue village Saboli. The National Council of Applied Economic Research (NCEAR) has been assigned as the Social Impact Assessment Unit to carry out social impact assessment study in relation to aforesaid land vide Notification no. 8/2/2015/L&B/LA/911 dated 09/05/2022.

Further, the main objectives of Social Impact Assessment are consultation with stake holders and public, survey and public hearing wherever required. The time period for Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan will be six months from date of publication of this notification in the official gazette and same will be disclosed by the way of websites, posters, leaflets and public hearing as the case may be at the conspicuous places in affected areas, and in the office of District Collector (Shahdara), Delhi.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,
ASHOK KUMAR YADAV, Dy. Secy. (Land And Building)